सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

22 फाल्गुन, 1939 (श०)

संख्या- 244 राँची, मंगलवार, 13 मार्च, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

26 दिसम्बर, 2017

कृपया पढ़े:-

1. जिला पदाधिकारी, कैमूर, भभुआ का पत्रांक-1894/गो०, दिनांक 31 मई, 1994, पत्रांक-1433/गो०, दिनांक 9 अगस्त, 2008 एवं पत्रांक-85/गो०, दिनांक 2 फरवरी, 2009
2. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार (वर्तमान में सामान्य प्रशासन) विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-3196, दिनांक 7 अप्रैल, 2006 एवं पत्रांक-12460, दिनांक 25 सितम्बर, 2017
3. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड का पत्रांक-4155, दिनांक 10 अगस्त, 2007, पत्रांक-7023, दिनांक 17 दिसम्बर, 2008 एवं पत्रांक-3574, दिनांक 28 मई, 2009

संख्या-5/आरोप-1-74/2014 का.-12551-- श्री विजय कुमार, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-457/03), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चैनपुर, भभुआ, सम्प्रति-सेवानिवृत्त के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, कैमूर, भभुआ के पत्रांक-1894/गो०, दिनांक 31 मई, 1994 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरूद्ध उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना कर सरकारी राशि के दुरूपयोग की कुचेष्टा करने, सरकारी नियमों का उल्लंघन करने, जिला पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने, अभिकर्ता के गलत कार्यों को जिला प्रशासन से छिपाने का प्रयास करने, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के न्यून मजदूरी का भुगतान किये जाने से संबंधित आरोप को ठुकराने, गलत आँकड़ों को प्रस्तुत कर जिला प्रशासन को गुमराह करने एवं भ्रम में डालने का प्रयास करने आदि आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 3196, दिनांक 7 अप्रैल, 2006 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध उक्त आरोप से संबंधित मूल संचिका कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड को उपलब्ध करायी गयी । इस संचिका के अवलोकन से पाया गया कि श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप प्रपत्र- 'क' एवं संलग्न साक्ष्य अभिलेख अपठनीय हैं । अतः विभागीय पत्रांक- 4155, दिनांक 10 अगस्त, 2007 द्वारा जिला अधिकारी, भभुआ से हस्ताक्षर एवं साक्ष्य सहित प्रपत्र-'क' उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया ।

जिलाधिकारी, कैमूर के पत्रांक-1433/गो०, दिनांक 9 अगस्त, 2008 द्वारा हस्ताक्षरित प्रपत्र-'क' उपलब्ध कराया गया । साथ ही, आरोपी पदाधिकारी श्री कुमार के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं पाते हुए इनके विरूद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी, परंतु प्रपत्र-'क' से संबंधित साक्ष्य नहीं रहने के कारण पुनः विभागीय पत्रांक- 7023, दिनांक 17 दिसम्बर, 2008 द्वारा उक्त हेतु अनुरोध किया गया ।

जिलाधिकारी, कैमूर के पत्रांक-85/गो०, दिनांक 2 फरवरी, 2009 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप-पत्र से संबंधित कोई साक्ष्य अभिलेख संचिका में उपलब्ध नहीं है । अतः इनके विरूद्ध आरोप की इस संचिका को साक्ष्य के अभाव में संचित करने की कार्रवाई की जा सकती है ।

जिलाधिकारी, कैमूर से प्राप्त प्रतिवेदनों में विरोधाभास होने के कारण विभागीय पत्रांक-3574, दिनांक 28 मई, 2009 द्वारा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार को जिलाधिकारी, कैमूर के दोनों प्रतिवेदनों की प्रति संलग्न करते हुए इस पर मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया ।

उक्त अनुरोध के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक-12460, दिनांक 25 सितम्बर, 2017 द्वारा उपलब्ध कराया गया मंतव्य निम्नवत् है-

"विषयगत विरोधाभास पर वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु जिला पदाधिकारी, कैमूर से प्रतिवेदन माँगा गया, जिसके अनुपालन में इनके द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध आरोप से संबंधित संचिका में शेष कागजात की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए यह स्पष्ट किया है कि संबंधित संचिका के पत्राचार भाग पर संधारित साक्ष्य अभिलेख दीमक के कारण नष्ट हो चुका है । साथ ही, उल्लेख किया गया है कि श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप केवल प्रशासनिक प्रकृति के हैं । विदित हो कि श्री कुमार से संबंधित आरोप का यह मामला 22 वर्ष पुराना है तथा इसमें राजस्व गबन का स्पष्ट आरोप भी सन्निहित नहीं है । ऐसी स्थिति में सेवानिवृत्ति (दिनांक 31 दिसम्बर, 2015) के उपरांत इनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई आरंभ करने से संबंधित पेंशन नियमावली में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया कालबाधित हो चुकी है । अतः विषयगत मामले को संचिकास्त करने के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है ।"

अतः सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री विजय कुमार, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चैनपुर, भभुआ, सम्प्रति-सेवानिवृत्त के आरोप से संबंधित विषयगत मामले को संचिकास्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सूर्य प्रकाश,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 244 -- 50